

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक..... / पटना, दिनांक.....
03 / सह0ब0योजना (आवंटन)-02 / 2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद अन्तर्गत **National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. (NFCSF)**, नई दिल्ली को सकरी (मधुबनी) एवं रैयाम (दरभंगा) में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के प्रयोजनार्थ परामर्शी सेवाओं के लिए सेवा शुल्क का 50 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित कुल राशि **रु० 11,80,000-** (ग्यारह लाख अस्सी हजार) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-693, दिनांक-27.03.2026 के आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड-09-2425001050101, विस्तृत शीर्ष-28-व्यवसायिक सेवायें, विषय शीर्ष-04-व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में **रु० 11,80,000-** (ग्यारह लाख अस्सी हजार) रुपये का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-227/वि०, दिनांक-28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-235/वि०, दिनांक-01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—...../पटना, दिनांक—.....
प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— 101(आ) /पटना, दिनांक— 27/03/26.....
प्रतिलिपि:— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।